

न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,
अवर न्यायाधीश द्वितीय, जगदीशपुर(भोजपुर)
हकीयत वाद सं. 107/2023
कम्प्यूटर नं. 107/2023

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
11-12-2023	वादी की हाजिरी है। वादी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित है तथा अपने निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 12.09.2023 को प्रचलित करते हुए कथन करते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद वादग्रस्त भूमि के बंटवारा हेतु दाखिल किया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि उभयपक्ष के पूर्वज जमुना शाह थे जिनके के तीन लड़का दूधनाथ साह दीनानाथ साह तथा उमानाथ साह हुए तथा जमुना शाह के तीनों लड़कों के बीच उनके जीवन काल में ही बंटवारा हो गया था एवं प्रस्तुत वाद दूधनाथ एवं उनके लड़को के बिच बटवारा हेतु लाया गया है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या एक दूधनाथ साह द्वारा दिनांक 17.07.2023 को विवादित भूमि चंद्रकांत शर्मा पिता नथनी शर्मा को बिक्री कर दिए हैं जबकि उक्त भूमि वादी के दखल कब्जा में है तथा प्रतिवादी संख्या एक अभी भी विक्रय की बात कर रहे हैं जिससे भूमि पर तनाव की स्थिति बनी हुई है तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण की उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल करने तक यथास्थिति का आदेश पारित करने का निवेदन करते हैं। वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अपने पिता तथा भाइयों के विरुद्ध वाझूमि के बंटवारा हेतु लाया गया है तथा प्रस्तुत वाद अभी प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु चल रहा है तथा इसी दौरान वादी द्वारा उक्त	

न्यायालय, पुष्पेन्द्र कुमार पाण्डेय,
अवर न्यायाधीश द्वितीय, जगदीशपुर(भोजपुर)
हकीयत वाद सं. 107 / 2023
कम्प्युटर नं. 107 / 2023

निषेध्याज्ञा आवेदन दाखिल कर कथन किया गया है कि प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा वाद भूमि का विक्रय किया जा रहा है तथा अपने कथन के समर्थन में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख की छाया प्रति भी दाखिल किया गया है जो यह दर्शित करता है कि प्रतिवादी संख्या एक के द्वारा विवादित भूमि का विक्रय किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में तथा विवादित भूमि के संरक्षण हेतु प्रतिवादीगण को उपस्थित होकर कारणपृच्छा दाखिल करने तक उभय पक्ष को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाता है वाद दिनांक 25.01.2024 वास्ते उपस्थित।

ले0

अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर,भोजपुर